

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 201/2016

संस्थापित दिनांक 19/01/2016

फाईलिंग नम्बर 230303004942016

1. श्रीमती मालती पत्नि गंधर्वसिंह आयु 32 वर्ष  
जाति जाटव निवासी ग्राम नैनोली थाना मौ,  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... परिवादी

बनाम

1. रामवरन पुत्र लज्जाराम जाटव आयु 32 वर्ष
2. रामरतन पुत्र नामालूम आयु 61 वर्ष  
निवासीगण— ग्राम नैनोली थाना मौ  
परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा—354 एवं 294 भा0द0सं0)  
(परिवादी द्वारा अधिवक्ता—श्री सतीश मिश्रा)  
(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री सुनील कांकर)

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 08/01/2018 को घोषित किया)

आरोपी रामवरन पर दिनांक 10/01/2016 को अभियोक्त्री के घर स्थित ग्राम नैनोली में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने हेतु भा0द0सं0 की धारा 354 एवं आरोपी रामरतन गुर्जर पर घटना दिनांक एवं समय पर अभियोक्त्री के घर के पास ग्राम नैनोली में सार्वजनिक स्थल पर अभियोक्त्री को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने हेतु भादसं की धारा 294 के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में परिवाद पत्र इस प्रकार है कि परिवादिया दिनांक 10/12/15 को ग्वालियर से अपने घर पर आई थी जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला था तो पीछे से आरोपी रामवरन ने उसे पकड़ लिया था एवं उसे निर्वस्त्र कर दिया था और उससे कहा था कि तुम मुझे अच्छी लगती हो

मुझसे दोस्ती करलो अभियोक्त्री ने मना किया था एवं बचाव के लिए चिल्लाई थी तो उसका पति गंधर्व एवं लडका संजीव आ गए थे जिन्हें देखकर आरोपी रामवरन उसे छोड़कर भाग गया था उसने उक्त घटना की लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना मौ में की थी परंतु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। उक्त घटना से नाराज होकर दिनांक 10.01.16 को आरोपीगण मंशाराम के घर पर शराब पीकर इकट्ठा हुए थे और शराब पीकर आरोपीगण ने उसे तथा उसके पति को मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दी थी जो उसे सुनने में बुरी लगी थी जब उसने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे तो आरोपीगण ने उसके दरवाजों पर धक्का दिया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। मौके पर हरीशचंद्र एवं हरदोल आ गए थे जिन्हें देखकर आरोपीगण भाग गए थे। उसने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मौ एवं पुलिस अधीक्षक भिण्ड को भेजी थी परंतु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी इसलिए उसने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है।

3. उक्त परिवाद की जांच उपरांत आरोपी रामवरन के विरुद्ध भादसं की धारा 354 एवं 294 तथा आरोपी बलवीर, नरेन्द्र, सोनू, रामरतन एवं ध्याना के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 294 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया। विचारण के दौरान अभियोक्त्री द्वारा आरोपी बलवीर, नरेन्द्र, सोनू, रामवरन एवं ध्याना से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दवाब के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी रामवरन, ध्याना, बलवीर, नरेन्द्र एवं सोनू को पूर्व में ही भादसं की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं प्रकरण में मात्र आरोपी रामवरन के विरुद्ध भादसं की धारा 354 एवं आरोपी रामरतन के विरुद्ध भादसं की धारा 294 के अंतर्गत विचारण शेष है।

4. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

5. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया हैकि वह निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण मे झूठा फंसाया गया है।

6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपी रामवरन ने दिनांक 10/01/2016 को अभियोक्त्री के घर स्थित ग्राम नैनोली में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

2. क्या आरोपी रामरतन ने घटना दिनांक समय एवं स्थान पर अभियोक्त्री को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवादी की ओर से अभियोक्त्री आ0सा01 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण  
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोक्त्री आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से 9-10 महीने पहले की है वह शाम को 5-6 बजे ग्वालियर से आई थी उसने अपने घर का दरवाजा खोला था तो रामबरन पीछे से आ गया था। रामबरन ने उसे पकड़ लिया था एवं उसकी साड़ी खींचकर उसे निर्वस्त्र कर दिया था तथा उसकी दोनों छाती पकड़ ली थी और उससे कहा था कि अच्छी लगती हो मेरे से दोस्ती करलो वह चिल्लाई थी तो उसका पति गंधर्व और लड़का संजीव आ गया था जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया था। उसने थाने पर रिपोर्ट की थी जो प्र0पी01 है। उक्त घटना के आठ दस दिन बाद मंशाराम के दरवाजे पर आरोपी रामरतन, बलवीर, सोनू, ध्यानेन्द्र एवं नरेन्द्र इकट्ठे हुए थे और शराब पीकर गाली गलौंच करने लगे थे गालियां उसे सुनने में बुरी लगी थी उसने अपने किवाड़ बंद कर लिए थे। हरीशचंद्र और हरदोल आ गए थे जिन्हें देखकर आरोपीगण चले गए थे।

9. प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 5 में उक्त साक्षी का कहना है कि जब आरोपी ने उसके साथ घटना की थी तब वह अकेली थी उसके चिल्लाने पर उसका पति और पुत्र आ गया था और कोई नहीं आया था। पद क्र0 6 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसने, उसके पति एवं पुत्र ने घर पर बैठकर सलाह की थी तथा रिपोर्ट करने के लिए अगले दिन सुबह गए थे। प्र0पी01 की रिपोर्ट पुलिस वालों ने लिखी थी। प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 9 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना शाम के समय की थी उस समय अंधेरा हो गया था एवं यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी रामबरन ने उसके साथ कोई अश्लील हरकत नहीं की थी आरोपी उसके घर में नहीं घुसा था आरोपीगण ने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था। घटना वाले दिन बलवीर, सोनू, ध्यानेन्द्र गाली गलौंच कर रहे थे आरोपी रामबरन मौके पर नहीं था शाम होने के कारण वह उक्त लोगों को ठीक से पहचान नहीं पाई थी। आरोपी बलवीर, सोनू, ध्यानेन्द्र एवं नरेन्द्र ने मात्र गाली गलौंच की थी अन्य कोई बात नहीं हुई थी आरोपी रामबरन एवं रामरतन मौके पर नहीं थे।

10. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोक्त्री के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोक्त्री आ0सा01 ने अपने आरोप पूर्व मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि आरोपी रामबरन ने उसे पकड़ लिया था उसकी साड़ी खींचकर उसे निर्वस्त्र कर दिया था एवं उसकी दोनों छाती पकड़ ली थी परंतु आरोप पश्चात प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि घटना वाले दिन आरोपी रामबरन एवं रामरतन मौके पर नहीं थे। आरोपी रामबरन द्वारा उसके साथ कोई अश्लील हरकत नहीं की गई थी। घटना वाले दिन आरोपी बलवीर, सोनू, ध्यानेन्द्र एवं नरेन्द्र ने मात्र गाली गलौंच किया था अन्य कोई बात नहीं हुई थी।

12. इस प्रकार अभियोक्त्री आ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि घटना के समय आरोपी बलवीर, सोनू, ध्यानेन्द्र एवं नरेन्द्र ने मात्र गाली गलौंच किया था। यहां यह भी

उल्लेखनीय है कि अभियोक्त्री द्वारा उक्त आरोपीगण से राजीनामा किए जाने के कारण आरोपी बलवीर, सोनू, ध्यानेन्द्र एवं नेरन्द्र को पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है एवं मात्र प्रकरण में आरोपी रामबरन एवं रामरतन के विरुद्ध विचारण शेष है। अभियोक्त्री अ0सा01 ने न्यायालय में समक्ष अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि घटना के समय आरोपी रामबरन एवं रामरतन मोके पर नहीं थे तथा यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी रामबरन ने उसके साथ कोई अश्लील हरकत नहीं की थी। इस प्रकार अभियोक्त्री अ0सा01 ने यद्यपि अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपी रामबरन द्वारा उसके साथ अश्लील हरकत करना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपी रामबरन एवं रामरतन मोके पर नहीं थे एवं उक्त आरोपीगण द्वारा उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया था। अभियोक्त्री अ0सा01 के कथनों से यह दर्शित है कि अभियोक्त्री अ0सा01 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। उक्त विरोधाभास अत्यंत तात्त्विक है जो संपूर्ण अभियोजन कहानी को ही संदेहास्पद बना देता है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोक्त्री अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि आरोपी रामबरन ने उसके साथ कोई अश्लील हरकत नहीं की थी। आरोपी रामबरन एवं रामरतन घटना के समय मोके पर नहीं थे। ऐसी स्थिति में जबकि स्वयं अभियोक्त्री अ0सा01 के कथन आरोपी रामबरन एवं रामरतन के संबंध में अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभासी रहे हैं, अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

14. यह परिवादी का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।

15. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोक्त्री संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि आरोपी रामबरन ने दिनांक 10/01/2016 को अभियोक्त्री के घर स्थित ग्राम नैनोली में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं आरोपी रामरतन गुर्जर ने अभियोक्त्री को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए आरोपी रामबरन को भादसं की धारा 354 एवं आरोपी रामरतन गुर्जर को भादसं की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

16. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

17. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं हैं।

स्थान – गोहद

दिनांक – 08-01-2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)